

क्रमांक 158/बो.प्र./नि.स./2021/.....
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

दिनांक /09/2021

अपील प्रकरण क्रमांक 158

अपीलार्थी
श्री नरेश गिरी गोस्वामी
क्वा. नं. ई-171, केतु विहार
एच.टी.टी.पी. कालोनी, दर्री,
पोस्ट :- जमनीपाली
जिला - कोरबा (छ.ग.) 495450
मो.नं. - 8319298813

प्रतिअपीलार्थी
श्री एल.बी. शाह
जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 02.09.2021

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री नरेश गिरी गोस्वामी, क्वा. नं. ई-171, केतु विहार, एच.टी.टी.पी. कालोनी, दर्री, पोस्ट - जमनीपाली जिला कोरबा (छ.ग.) के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2021 की सुनवाई दिनांक 31.08.2021 एवं आज दिनांक 02.09.2021 को कक्ष क्र. एफ.ए.-6 में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। दिनांक 31.08.2021 को सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) उपस्थित हुए परन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित थे। दिनांक 02.09.2021 को सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह एवं अपीलार्थी श्री नरेश गिरी गोस्वामी, उपस्थित थे।

1. अपीलार्थी श्री नरेश गिरी गोस्वामी, ने यह अपील जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) के निर्णय दिनांक 30.07.2021 से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। अपीलार्थी इस तथ्य से व्यथित है कि उन्हें उनके आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2020 जो कि माननीय राज्यपाल सचिवालय से विभाग को प्राप्त हुआ था एवं दूसरे आवेदन पत्र दिनांक 05.05.2021 पर की गई कार्यवाही की सत्यापित व प्रमाणित नोटशीट प्राप्त नहीं हुई है।

2. जन सूचना अधिकारी के प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उनके द्वारा इस कार्यालय के संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप के अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2020 एवं दिनांक 05.05.2021 पर जितनी जानकारी धारित थी वह अपीलार्थी को प्रदाय की गई।

3. सुनवाई के दौरान कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर के स्थापना शाखा कक्ष क्र. 331-332 में कार्यरत् श्री धनी सिंह, सहायक वर्ग-2, द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2020 एवं 05.05.2021 पर संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा की गई निराकरण कार्यवाही, प्रमुख अभियंता कार्यालय को दिनांक

01.09.2021 को प्राप्त हुई है एवं उक्त जानकारी से प्रमुख अभियंता द्वारा शासन को दिनांक 01.09.2021 को अवगत कराया गया है।

4. अतः उभय पक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :-

जनसूचना अधिकारी ने संबंधित कक्ष द्वारा प्रदाय समस्त जानकारी अपीलार्थी को दी है परन्तु अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2020 एवं 05.05.2021 पर की गई कार्यवाही संबंधित जानकारी मुख्य अभियंता कार्यालय से प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को प्रदाय नहीं की जा सकी। अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2020 एवं 05.05.2021 पर संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा की गई निराकरण कार्यवाही, प्रमुख अभियंता कार्यालय को दिनांक 01.09.2021 को प्राप्त हुई है एवं उक्त प्रकरण में प्रमुख अभियंता द्वारा शासन को दिनांक 01.09.2021 को अवगत कराया गया है। अतः जनसूचना अधिकारी उपरोक्तानुसार उल्लेखित जानकारी/अभिलेख की छायाप्रति अपीलार्थी को 3 दिवस के भीतर निशुल्क प्रदाय करें।

स्वी/ -

(अरुण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र. 158/बो.प्र./नि.स./2021/.....7189 रायपुर

दिनांक 02/09/2021

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड करें।
2. श्री एल.बी. शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. श्री नरेश गिरी गोस्वामी, क्वा. नं. ई/171, केतु विहार, एच.टी.टी.पी. कालोनी, दर्री, पोस्ट - जमनीपाली जिला कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Asadhijc 02/09/2021

(अरुण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग

शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)